eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 11, November 2023

लैंगिक समानता और मानवाधिकार – भारतीय परिप्रेक्ष्य में

[1]**डॉ. राजेश कुमार**
[1]असि0 प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, स्व0सं0से0 विश्राम सिंह राजकीय स्ना0 महा0 चुनार, मीरजापुर

Received: 25 September 2023 Accepted and Reviewed: 30 September 2023, Published : 01 November 2023

Abstract

लैंगिक समानता से आशय लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के अभाव से है। स्त्री – पुरुष दोनों को समान रुप से विकास के अवसर प्राप्त होने चाहिए। लैंगिक समानता एक मौलिक अधिकार है, जो पुरुषों के बराबर महिला अधिकारों का समर्थन करता है। महिलाओं के स्वतन्त्र एवं गमिापूर्ण जीवन के लिए लैंगिक समानता अनिवार्य है। समकालीन विश्व में लैंगिक समानता को स्थापित करने की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है, जिसने महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में जागरुकता पैदा की है। वे सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रुप से सशक्त हो रही हैं। आज शिक्षित महिलाएं परिवार, समाज तथा देश के विकास में अपना योगदान कर रहीं है तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर सम्भावनाएं सुनिश्चित कर रही हैं। इन सब के बावजूद स्त्रियों के मानवाधिकार की रक्षा तथा उनके सशक्तीकरण के लिए तमाम विधिक कानूनों के मौजूद होने के बाद भी लैंगिक समानता एक अधूरा वादा बनी हुई है।

मूल शब्द– भारतीय समाज, लैंगिक समानता और मानवाधिकार एवं सशक्त नारी।

Introduction

विकसित देशों में लैंगिक समानता जहां वास्तविकता का आकार ले रही है, विकासशील एवं अविकसित देशों में अभी यह कोरे आदर्श के रुप में ही स्वीकृत है और अभी पुरुषों की बराबरी करने में महिलाओं को काफी समय लगेगा। अभी भी विश्व के अधिकांश देशों में स्त्रियों को शिक्षा का समुचित अवसर नहीं प्राप्त है तथा अनेक प्रकार से अधिकारों से वंचित हैं। कभी धर्म के नाम पर , कभी परम्परा के नाम पर और कभी शारीरिक निर्बलता के नाम पर पुरुषों द्वारा स्त्रियों का शोषण आज भी देखा जा सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि पुरुषों ने हर प्रकार की स्वंत्रता का उपभोग किया, लेकिन स्त्रियों को इससे वंचित किया। कभी स्त्रियों को गुलाम का स्थान दिया गया, कभी दासी का और कभी इन्हें अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने का साधन बनाया।[1]

वास्तव में देखा जाय तो अधिकांश स्त्रियों का लालन–पालन जिन परिस्थितियों में होता है, ये ऐसी होती हैं, जिनमें स्त्रियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। जबकि लड़कों को विचारों और कार्यो में स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। लड़कियों को आज्ञापालन, निर्भरता और आदरपूर्ण स्वीकृति की शिक्षा दी जाती है। 1949 में प्रकाशित साइमन डी बुआ की प्रसिद्ध पुस्तक 'द सेकण्ड सेक्स' में स्त्रियों के उपर होने वाले अत्याचारों और अन्यायों का विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि पुरूषों ने स्वयं को 'विषयी' (Subject) के रूप में परिभाषित किया है तथा स्त्रियों की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए 'अन्य' के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार स्त्रियों को वस्तु के रूप में निरूपित किया गया है। साइमन डी बुआ का मानना है कि स्त्रियों

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 11, November 2023

ने इस स्थिति को स्वीकार किया। उसने कभी भी अपनी आत्मनिष्ठता, निजता, प्रमाणिकता को अभिव्यक्त नहीं किया। यदि कभी अपने ऊपर होने वाले शोषण और अत्याचार के विरूद्व आवाज उठाई भी तो वह महज प्रतीकात्मक आन्दोंलन बनकर रह गया।[2]

मानवता के इतिहास में इतने अल्प समय में शायद इतना आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ हो जितना कि बीसवीं सदी में नारियों की स्थिति में हुआ। किसी समय गुलाम मानी जाने वाली नारियों ने स्वतन्त्रता एवं समानता की बातें करना शुरू कर दिया तथा इसके लिए उन्होंने आन्दोलन करना प्रारम्भ कर दिया है। इससे उन्हें अपनी स्थिति को परिवर्तित करने में सफलता मिली । आज पतियों को पत्नियों को पीटने का कोई अधिकार नहीं है। अब वे केवल मनोरंजन के साधन मात्र नही हैं, न ही वे घर की चहारदीवारी में कैद हैं। उन्होंने वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। यह नारी–मुक्ति औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप स्थापित हुई। औद्यौगीकरण की प्रक्रिया ने नारियों को मजदूर के रूप में परिणत कर दिया। 1882 में पहला कानूनी अधिकार नारियों को प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि ग्रेट ब्रिटेन की नारियां स्वयं द्वारा अर्जित धन पर पूर्ण स्वामित्व रखेंगी। इससे उद्योगों में काम करने के लिए स्त्रियों को अपार प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। यह सत्य है कि इस प्रक्रिया से परिवार की अवधारणा में परिवर्तन हुआ है। कई हजार साल से जो संस्था अस्तित्व में थी, एक पीढ़ीं ने उसके पतन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया। मशीनों के आगमन ने कारखानों के निर्माण को प्रेरित किया, कारखानों ने शहरों की स्थापना को प्रोत्साहित किया, शहरों ने प्रजातन्त्र की स्थापना को प्रेरित किया । इसके साथ ही साथ समाजवाद और गर्भ–निरोध जैसी धारणाएं स्थापित हुई। गर्भ निरोध की नवीन साधनों तथा नई तकनीकि ने नारी–मुक्ति को सर्वाधिक प्रोत्साहित किया। आज नारी अवांछित गर्भ–धारण के भय से मुक्त हैं तथा शिशुओं के लालन–पालन की जिम्मेदारी से मुक्त हो सकती हैं।[3] जब एक महिला अपने परिवार की योजना बनाती है, तो वह अपने शेष जीवन की योजना बना कर चलती है।

अब स्त्री ने पुरूषों के समान्तर अपनी स्थिति बना ली है। इसके साथ ही साथ स्त्रियां हर एक क्षेत्र में पुरूषों की बराबरी करने लगी हैं। नूतन आर्थिक विकास ने नारियों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने में उल्लेखनीय भूमिका निभायी। उसने यह सिद्ध कर दिया कि बौद्धिक विभेद परिस्थितियों और व्यवसाय के कारण था, न कि जन्मजात। समान अवसर प्राप्त होने पर नारिया भी बौद्धिकता के क्षेत्र में पुरूषों का बराबर मुकाबला कर सकती हैं। आज शिक्षण संस्थाओं में महिलाओं की निरन्तर वृद्धि हो रही है। स्त्रियों को पुरूषों के समान ही समस्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त हैं, कानून का पूरा संरक्षण प्राप्त है और हर प्रकार के शोषण के विरूद्ध संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। एक व्यक्ति के रूप में अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता का उपभोग करने वाली नारी कभी–कभी स्वच्छन्दता की ओर उन्मुख हो जाती है तथा जिसके कारण विवाह और परिवार जैसी आधारभूत संस्थाएं खतरे में पड़ जाती है।

लैंगिक समानता महिलाओं के सशक्तीकरण की बात करता है, जिसमें शक्ति असन्तुलन की पहचान करने और उसका निवारण करने और महिलाओं को अपने जीवन का प्रबन्धन करने के लिए अधिक स्वयत्तता देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जब महिलाएं भेदभाव और हिंसा से मुक्त होंगी, तो वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र निर्णय ले सकेगी। इस संक्रमण की अवस्था

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 11, November 2023

में कुछ अवांछित घटनाएं और अप्रत्याशित परिवर्तन भी घटित हो रहे है, जिन्हें पुरूषों के विरूद्ध नारियों की अनावश्यक प्रतिक्रिया का परिणाम माना जा सकता है।[4] लैंगिक समानता को साकार करने और सभी महिलाओं को हिंसा, भेदभाव और हानिकारक प्रथाओं से मुक्त होकर अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए संरचनात्मक से लेकर व्यक्तिगत सभी स्तरों पर परिवर्तन होना चाहिए। किसी देश की प्रगति का अंदाजा इस आधार पर लगाया जा सकता है कि स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में क्या स्थान प्राप्त है, पुरूषों का स्त्रियों के प्रति क्या दृष्टिकोण है ? भारत में वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफी उच्च थी। उन्हें शक्ति, ज्ञान और सम्पत्ति का प्रतीक माना गया। स्त्रियां यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थीं तथा विधवा पुर्नविवाह भी प्रचलित था। धर्मशास्त्र काल एव मध्यकाल में स्त्रियों को सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। मध्य काल में रक्त शुद्धता बनाये रखने तथा स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा के लिए बाल–विवाह को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। इस काल में पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी। स्त्रियों का कार्यक्षेत्र केवल घर की चहारदीवारी तक सीमित हो गया। अंग्रेजों के आगमन के बाद भी स्त्रियों की स्थिति में कोई सन्तोषजनक सुधार नही हुआ, क्योंकि उन्होंने यहां के धार्मिक और सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनायी।[5]

19वीं शताब्दी के आरम्भ से ही कुछ प्रबुद्ध लोगों ने भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया था। इस क्षेत्र में राजा राममोहन राय का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर कानूनी रोक लगी। उन्होंने बाल–विवाह के अन्त तथा विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किया। उन्होंने इस धारणा का खण्डन किया कि स्त्रियां बौद्धिक या नैतिक दृष्टि से पुरूषों की तुलना में हीन हैं। उन्होंने स्त्रियों के लिए आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया और सामाजिक पुननिर्माण में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला।[6] ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उनके ही प्रयासों से 1856 में विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा विधवा पुनर्विवाह एंव अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गयी। मारग्रेट नोबल, एनी बेसेन्ट एवं मारग्रेट कुशनस ने भारत में अनेक स्त्री आन्दोलन को सशक्त बनाया। सन् 1917 में 'भारतीय महिला समिति' गठित की गयी। 1927 में पूना में 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन' का प्रथम अधिवेशन हुआ। 1932 में इसी संगठन ने दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की। इसी संगठन ने बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, दहेज आदि कुरीतियों के विरूद्ध आवाज उठायी तथा पुरूषों के समान सम्पत्ति के अधिकार एवं वयस्क मताधिकार की मांग की। इस संगठन के अलावा विश्वविद्यालय महिला संघ, भारतीय ईसाई महिला मण्डल, अखिल भारतीय स्त्री–शिक्षा संस्था एवं कस्तुरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट आदि संगठनों ने भी सामाजिक कुरीतियों एवं कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए प्रयास किया तथा स्त्री शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। महात्मा गाँधी के द्वारा स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए गए। उनके द्वारा चलाए जाने वाले राष्ट्रीय आदोलनों में स्त्रियों ने सक्रियतापूर्वक भाग लिया।[7]

डॉ० भीमराव अम्बेडकर स्त्री–पुरुष समानता में विश्वास करते थे। उन्होंने देश की महिलाओं को चहारदीवारी के बाहर निकाल कर लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करते हुए संवैधानिक अधिकारों की व्यवस्था की। वे कहते थे कि किसी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 11, November 2023

कि उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है ? आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंनें महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए। देश की स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नारियों की स्थिति में उल्लेखनीय प्रगति हुई। भारतीय संविधान में उनको पुरूषों के समान ही जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति आदि संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए तथा उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुरक्षा के लिए अन्य कई सारे उपबंध किए गए हैं।[8]

लैंगिक समानता के परिप्रेक्ष्य में संविधान में किए गए उपबन्ध –

अनुच्छेद–14 एवं अनच्छेद–15 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की बात करता है तथा लिंग के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव को निषिद्ध करता है। यह अनुच्छेद स्त्री–पुरुष समानता की बात करता है।

अनुच्छेद–19 (स्वतंत्रता का अधिकार) यह अनुच्छेद स्त्री–पुरुष में बिना भेद किए सभी नागरिकों को निम्न अधिकार देता है।

(क) वाक् स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
(ख) शांतिपूर्वक और नीरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता।
(ग) संघ बनाने का स्वतंत्रता।
(घ) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाध संचरण की स्वतंत्रता।
(ङ) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का स्वतंत्रता।
(च) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता।

संविधान के 86वें संसोधन द्वारा अनुच्छेद 21ए को संविधान में जोड़कर शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि 'राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसी प्रकार की रीति से, जैसा राज्य विधि अनुसार निर्धारित करे, देने की व्यवस्था करेगा'। संविधान का अनुच्छेद–23 और अनुच्छेद–24 शोषण के विरूद्ध अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के द्वारा मानव दुर्व्यापार को वर्जित ठहराया गया है और बेगार तथा अन्य प्रकार के बलात्श्रम को अपराध घोषित किया गया है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। मानव दुर्व्यापार का अर्थ स्त्री और पुरूषों को वस्तुओं के समान खरीदना अथवा बेचना है, इनमें स्त्रियों और बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार (जैसे– वेश्यावृत्ति, भीख मंगवाना आदि) करना भी शामिल है।

अनुच्छेद–39 (क) पुरुष तथा स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद–39(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार देता है। अनुच्छेद–39(ङ) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े, जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। अनुच्छेद–41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार एवं अनुच्छेद–42 महिलाओं को विशेष प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने की बात करता है। संविधान के अनुच्छेद 40 में दिए गये निर्देशों के अनुपालन में संसद द्वारा 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों एवं

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 11, November 2023

नगरपालिकाओं के क्रमशः अनु0 243 (घ) तथा अनु0 243 (न) द्वारा आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग की महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। संसद में भी महिलाओं के आरक्षण के लिए राजनीतिक प्रयास जारी है। अनुच्छेद–51क (ड़) नागरिकों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण की बात करता है, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।[9]

संसद के द्वारा लैंगिक समानता और न्याय को स्थापित करने के लिए 1955 में हिन्दू मैरिज एक्ट–1955 बनाया गया। इसके तहत तलाक को कानूनी मान्यता देने के साथ एक समय में एक से अधिक विवाह को गैर कानूनी घोषित किया गया, साथ ही अर्न्तजातीय विवाह को मान्यता दी गयी। 1956 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956, हिन्दू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम–1956, हिन्दू अवयस्कता और संरक्षण अधिनियम–1956 बनाया गया। पहली बार महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार और सम्पत्ति में अधिकार दिया गया तथा साथ ही पुरूषों की तरह अधिकार मिले।[10] महिला सशक्तीकरण की कड़ी में एक अध्याय तब जुड़ गया, जब 2005 में संयुक्त हिन्दू परिवार में पुत्री को भी सम्पत्ति में कानूनी रूप से भागीदार माना गया। संसद ने मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम – 2019 पारित किया, जिसमें तीन तलाक को रद्द कर उसे गैर कानूनी बनाया तथा उल्लंघन होने पर विधि के अनुसार दण्डनीय बनाया गया। समय–समय पर भारतीय संसद द्वारा स्त्रियों के मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं।

हमारा संविधान सभी को समानता का अधिकार प्रदान करता है। समानता एक मानवाधिकार है। मानवाधिकार के अन्तर्गत वे सभी विशेषताएं शामिल हैं जो नागरिकों को स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। मानवाधिकार प्राकृतिक अधिकार है, जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता है और ये किसी प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए जाने पर निर्भर नहीं है। वे मानव अस्तित्व में अंतर्निहित है। सुरक्षित मातृत्व का अधिकार भी एक मानवाधिकार है। औपचारिक गारंटियों के बावजूद लैंगिक भेदभाव जारी है और यह शिशु भ्रूण हत्या आदि कृत्यों में दुखद रूप से स्पष्ट है। यहां तक महिलाएं भी इस पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। समाज की इस विकृति को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने की जरूरत है। इसका समाधान परिवार के भीतर, जीवन के प्रारम्भिक चरण से और पूरे समाज में शिक्षा में निहित है। कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक समग्र रूप से समाज की सोचने की प्रक्रिया में बदलाव नहीं आएगा, तब तक ये बुराईयां समाज में किसी न किसी रूप में बनी रहेंगी।[11]

निष्कर्ष – इस प्रकार लैंगिक समानता के लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब समाज में महिला तथा पुरूष को समान अधिकार, अवसर एवं दायित्व प्राप्त हो। स्त्रियों के पक्ष में बने कानूनों का विधिसम्मत पालन हो तथा उनके सशक्तिकरण के लिए उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्त्रियों को भी अपने ऊपर होने वाले शोषण और अत्याचार के खिलाफ डटकर सामना करना होगा, ताकि समाज में उनकी स्वतंत्र पहचान स्थापित हो सके।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 11, November 2023

सन्दर्भ :

1. डॉ0 शिव भानु सिंह : 'समाज दर्शन का सर्वेक्षण' शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद (2010) पृ0 395
2. वही, पृ0 398
3. वही, पृ0 402
4. बिल किमलिका : 'समकालीन राजनीति – दर्शन' डॉर्लिग किंडरस्ले (इंडिया) प्रा0 लि0, नोएडा, 2010, पृ0 305
5. डॉ0 शिव भानु सिंह : 'समाज दर्शन का सर्वेक्षण' शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद (2010) पृ0 403
6. गाबा, ओम् प्रकाश : 'भारतीय राजनीति–विचारक' नेशनल पेपर बैक्स, नई दिल्ली, पृ0 122
7. डॉ0 शिव भानु सिंह : 'समाज दर्शन का सर्वेक्षण' शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद (2010) पृ0 406
8. https://navbharattimes:indiatimes.com
9. डॉ0 जज जय राम उपाध्याय : 'भारत का संविधान' सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद (2006)
10. www.ichowk.in
11. https://nhrc.nic.in